B.Ed. (2019-21) – BCC-6/UNIT-I/Ch.-3
Date :- 06/05/20 (Revisionary Ex.) By - Rakesh Sir.

(Short Notes) ① Gender Parity (लैंगिक समानता) (संक्षिप्त टिप्पणियाँ)

लिंग की अवधारणा में पुरुष और स्त्री दोनों ही सम्मिलित हैं, केवल स्त्री से नहीं। लैंगिक समानता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें संस्थाओं में पुरुष और स्त्री के साथ समान व्यवहार किया जाय। लैंगिक समानता वाले समाज में पुरुष और स्त्री दोनों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी पसंदगी और प्रतिष्ठा के अनुसार अपना काम चुनें। ऐसा नहीं होता कि स्त्रियों के साथ भेदभाव हो और न ही ऐसा हो कि पुरुषों को वरीयता दी जाये। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लैंगिक समानता वाली सामाजिक व्यवस्था में पुरुष और स्त्री दोनों को सामाजिक दमन से मुक्ति मिल जाये और इस तरह की व्यवस्था हो जो इन दोनों को नहीं बल्कि दूसरों को भी सन्तुष्ट करे। लैंगिक समानता लाने का मतलब एक ऐसे समाज को बनाना है जहाँ पुरुष और स्त्री के बीच में जो भी असमानता के स्वरूप हैं उन्हें हटा दिया जाय। लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज में आदमी और औरत को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे जो भी और जिस तरह का कार्य करेंगे वह उनकी स्वयं की पसंद का होगा। क्योंकि वे पुरुष या स्त्री हैं इस कारण उन पर यह काम थोपा नहीं जा सकता।

लैंगिक समानता का मतलब है कि न तो स्त्रियाँ निम्न हैं और न पुरुष उच्च। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिये कि मातृत्व औरत की कमजोरी नहीं शक्ति है और न इसके विपरीत पुरुषों को यह कि वे श्रेष्ठ हैं। बच्चों के पालन-पोषण के लिये माता और पिता को अपने स्वयं का उत्तरदायित्व मानना चाहिए। इसी कारण महिलावादी माता-पिता के दोहरे पद को काम में लेते हैं और केवल माता या पिता को ही नहीं। महिलावादी बच्चे की शिक्षा-दीक्षा में दोनों को समान उत्तरदायित्व मानते हैं।

P.T.O. →

(2) Gender Hierarchy (लैंगिक पदानुक्रम)

पदानुक्रम से तात्पर्य है गुण लिंग से स्त्री पुलिंग और नपुंसकलिंग अर्थात् स्त्री, पुरुष और उभयलिंगी का बोध होता है। समाज का अर्थ ही है व्यवस्था, और इस व्यवस्था के लिए परम्पराएँ, रीति-रिवाज, जाति, धर्म इत्यादि का आश्रय ले लिया जाता है। लैंगिक पदानुक्रम में महिलाओं को, पुरुषों को सक्षम मानने के उदाहरण कम ही प्राप्त होते हैं और सभ्य समाज में तो और भी न्यून होता है। आदिवासी समाज, श्रम पर आधारित समाज में सभी पुरुषों की श्रम के बराबर ही सहभागिता होने के कारण समानता होती है। पर वहाँ भी बच्चों का पालन-पोषण, भोजन, घरेलु कार्य प्रायः कार्य के उपरान्त स्त्रियाँ ही सम्पादित करती हैं, और पुरुष महिलाओं के साथ सम्बद्ध व्यवहार करते हैं। सभ्य समाज में भी स्त्रियाँ कमाती अवश्य हैं परन्तु उन्हें घरेलु कार्य बच्चों का पालन-पोषण करना पड़ता है अतः आर्थिक स्वावलम्बन का एक प्रश्न यह भी है कि लैंगिक पदानुक्रम में महिलायें पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि स्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्थान है। सामाजिक दृष्टि से लैंगिक पदानुक्रम में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की अपेक्षा उभयलिंगियों की निम्नतर है। बन्द हो या मुक्त हो परम्परागत या आधुनिक किसी भी प्रभाव का समाज हो वहाँ पर महिलाएँ और पुरुषों में जैविक भेदभाव के अतिरिक्त भी कई प्रकार के भेदभाव हैं। धार्मिक दृष्टि से तो महिलाओं को शक्ति देवी माना जाता है। दुर्गा शक्ति को पूजने वाले ही पुरुष महिलाओं का मानसिक व शारीरिक शोषण करते हैं। स्त्री को वास्तविकता में देवी का दर्जा नहीं देते। आर्थिक दृष्टि से कुछ समाज में पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त किये गये हैं। परन्तु वे अधिकार स्त्रियों को हिंसात्मक सामाजिक व्यवस्था होने के कारण आर्थिक अधिकार नहीं दिये जाने और कानूनी नियम होने के पश्चात भी इसके प्रति समाज का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। जहाँ स्त्रियाँ कार्य कर रही हैं वहाँ भी आर्थिक निर्णयों को लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। शैक्षिक दृष्टि से लैंगिक पदानुक्रम में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को हीन समझा जाता है।

इस प्रकार लैंगिक पदानुक्रम की वास्तविकता आज भी यही है कि स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न है और यह भेदभाव बाल्यावस्था से ही प्रारंभ नहीं बल्कि गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। लैंगिक पदानुक्रम को गाड़ी के पहिए की भाँति समानान्तर और सहयोगी बनाना चाहिए।